खबर (दार)

गिरीश मालवीय

बैंकों का एनपीए मोदी सरकार द्वारा राइट ऑफ कर देना देश का सबसे बड़ा घोटाला क्यों ओर कैसे है .... जानिए इस बारे में.....

.....मोदी सरकार से जब भी पूछा जाता है कि आप साल दर साल बैंको के एनपीए को राइट ऑफ क्यो कर रहे है ? उनका यही जवाब होता है कि राईट ऑफ का अर्थ कर्ज माफी नहीं है। लोन लेनेवालों पर कर्ज चुकाने का दायित्व बरकरार रहता है, कानूनी प्रक्रियाओं के तहत बकाया वसूली लगातार चलती रहती है।

हालांकि इस बार उन्होंने एक ओर बड़ा झूठ बोला है, राइट-ऑफ से कर्जदारों को फायदा नहीं पहुंचता है। वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल ने यह झूठ संसद में बोला जब उन्होंने बताया कि देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वित्तवर्ष 2014-15 से सितंबर, 2017 तक 2.47 लाख करोड़ का एनपीए लोन राईट ऑफ कर दिया है।'

लाइव मिंट की रिपोर्ट बताती है कि पिछले साढ़े तीन सालों में 2 लाख 72 हजार 558 करोड़ की जो रकम राइट ऑफ की गयी उसमे से सिर्फ 11 प्रतिशत यानी 29 हजार 343 करोड़ की रकम की ही रिकवरी की जा सकी यानी 2 लाख 43 हजार 215 करोड़ रुपये की रकम पूरी तरह से डूब गयी, अब आप यह बताइये कि इस रकम के डूबने का फायदा किसे मिला ?

क्या बैंको को मिला ?

क्या जनता को मिला ?

क्या भारत सरकार को मिला ?

इस रकम के डूबने के फायदा सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों को मिला, जिनके नाम तक डिस्क्लोज नही किये गए। जिन्होंने यह 2 लाख 43 हजार 215 करोड़ रुपये की रकम डुबो दी, उन्हें फिर से अगली बार लोन मिल जाएगा क्योंकि इसके बारे में कुछ बताया ही नही गया।

तभी कहा जाता है कि एनपीए की रकम को राइट ऑफ कर देना भारत का सबसे बड़ा घोटाला है।

अब आप समझिये कि यह राइट ऑफ किये क्यो जाते हैं? जबकि एनपीए हुई रकम को रिकवर करने के बैंकों के पास बहुत से तरीक़े मौजूद हैं।

यह जानकारी एक ऐसे अधिकारी ने दी है जो खुद ऐसी ब्रांच में कार्यरत हैं जिसका काम एनपीए से ही संबंधित है और इस सम्बंध में उनका अनुभव दशको पुराना है। उनसे जब मैंने पूछा कि आखिर एनपीए को राइट ऑफ करने में उद्योगपति को क्या फायदा मिलता है तो उन्होंने पूरी बाते खोल कर रख दी। उनका कहना था कि.....

लाइव लेजर में जब एनपीए अकाउंट होता है.. तो उसमें ब्याज के पूरे मूल धन की रिकवरी होती है... आरबीआई के डायरेक्टिव के हिसाब से लाइव लेजर के एनपीए पर कोई स्कीम नहीं लाई जा सकती, कारपोरेट द्वारा अपनी बंधक संपत्ति को छुड़ाने का एक ही तरीका होता है कि लोन राइट ऑफ कर दो, उसके बाद स्कीम लाकर लोन का खाता बंद कर दो।

जब लोन राइट ऑफ होता है तो लाइव लेजर से हट जाता है फिर भी रिकवरी की सारी प्रक्रियाएं बैंक के लिए खुली होती हैं...ओर रिकवरी के नाम पर खेल कर लिए जाते है, यानी बंधक संपत्ति न बेचकर ऋणी से समझौता करने की स्थिति में... मूलधन का भी बड़ा भाग माफ़ कर दिया जाता है और ब्याज पूरा छोड़ दिया जाता है। कानूनी प्रक्रियाओं में जो धन बैंक ने खर्च किए वह भी छोड़ दिया जाता हैं...

यानी राइट ऑफ के बाद स्कीम लाई जाती है उसमे कहा जाता है कि तुम्हारा पूरा ब्याज माफ और जितना मूलधन है उसके आधे से कम भी अगर दे दो तो लोन माफ.....

जबकि अगर बैंक बंधक संपत्ति की नीलामी करें तो पूरा मूलधन मय ब्याज के कानूनी खर्चों सहित राइट ऑफ के पहले ही जमा हो सकता है और राइट ऑफ के बाद भी...लेकिन इस ओर ध्यान नही दिया जाता, यही सबसे बड़ा घोटाला है।

उनका साफ कहना था कि 'बड़े कारपोरेट लोन में राइट ऑफ किया ही इसीलिए जाता है कि थोड़े दिन में इसकी स्कीम लाकर बंधक संपत्ति छुड़वा दी जाएगी।'

इस संदर्भ में यह आंकड़ा जान लेना समीचीन होगा कि बैंकों में बड़े उद्योगों के लिए कुल फंसा हुआ कर्ज यानी ग्रॉस एनपीए 33 महीने में 328 फीसदी से ज्यादा बढ़ गया है। 2012-13 के दौरान कुल मिलाकर सरकारी बैंकों ने 27231 करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ किया था। इसकी तुलना में 2016-17 में 81683 करोड़ रुपए लोन राइटऑफ किया गया। इस प्रकार इस दौरान इसमें करीब 5 गुना बढ़त दर्ज की गई है।

जब मैंने उनसे यह पूछा कि उद्योगपतियों के नाम न बताने की बात क्यो कही जाती है तो उनका कहना था कि 'एक बार अगर किसी का लोन खराब हो गया और वह किसी दूसरी स्कीम के तहत बंद हुआ तो उसका सिबिल खराब हो जाता है और उसको कहीं से भी बैंक लोन नहीं मिल सकता। इसीलिए कारपोरेट के नाम जाहिर नहीं किए जाते और ना ही उनका सिबिल खराब किया जाता है।'

अब आप समझ सकते हैं कि मोदी सरकार से अपना ऋण राइट ऑफ करवा लेना बड़े उद्योगपतियों के लिए कितने फायदे का सौदा है, उनके नाम तक नही बताए जाते ओर इसीलिए मोदी सरकार के कार्यकाल में राइट ऑफ करने में पांच गुना की बढ़ोतरी हुई है।

यही है देश का सबसे बड़ा घोटाला.....

भारत में महिला आयोग और महिला विकास मंत्रालय है या उठ चुकी अर्थी

आठ साल की आसिफा से बलात्कार मंदिर में किया गया, बलात्कारी हिंदू था। बलात्कारियों को बचाने के लिए जिन लोगों ने तिरंगे का सहारा लिया वह भी हिंदू थे। जिन वकीलों ने चार्जशीट दाखिल नहीं होने दी हिंदू तो वह भी थे। सहसा एसपी रमेश कुमार जल्ला की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है जिन्होंने इस मामले की निष्पक्ष जांच की और आरोपियों को बेनकाब किया, याद आती है बहादुर वकील दीपिका सिंह रजावत की जिन्होंने साम्प्रदायिक जहरीले वकीलों के विष की परवाह किए बिना आसिफा को न्याय दिलाने का बेड़ा उठाया। उन असंख्य हिंदुओं के चेहरे सामने आ जाते हैं जिन्होंने आसिफा के बलात्कारी भेड़ियों को सजा दिलाने के लिए आवाज बुलंद की। अगर सौ करोड़ हिंदुओं में कुछ हजार या लाख भी अपने घिनौने और दूषित विचारों से मानवता को शर्मसार करने पर आमादा हैं तो इंसानियत के दोस्तों की भी कमी नहीं।

जनज्वार, दिल्ली

बेटी बचाओ—बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली मोदी सरकार ने अगर किसी आयोग और मंत्रालय का पूरी तौर पर गला घोंट दिया है तो वह महिला आयोग और महिला विकास मंत्रालय, जो जघन्य से जघन्य महिला अपराधों पर मुंह तो नहीं ही खोल पाते हैं, एक प्रेस रिलीज तक जारी नहीं कर पाते...

देश में चाहे महिलाओं पर जितना बड़ा अपराध—अत्याचार हो जाए, आप न महिला आयोग को कुछ बोलते पाएंगे, न ही महिला विकास मंत्रालय की मेनका गांधी का कोई बयान देखेंगे। दोनों जिम्मेदार विभागों का ऐसा बेअसर रोल देख यही लगता है कि भारत में कभी ये विभाग थे ही नहीं।

जम्मू के कठुआ के मंदिर में 4 दिन तक 7 लोगों द्वारा आसिफा नाम की 8 बरस की बच्ची का बलात्कार के बाद पत्थर से कूंच कर हत्या मामले ने जिस तरह देश को झकझोर दिया है, उस पर महिला आयोग का एक शब्द न बोलना बताता है कि मोदी सरकार में आयोग की अर्थी उठ चुकी है। सवाल है कि आखिर किस काम आता है देश का महिला आयोग, क्या वह सिर्फ जनता की कमाई खाने के लिए बैठा और शाम को ताला बंद कर घर जाने के लिए।

उन्नाव के बांगरमऊ से बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और उसके भाई के खिलाफ सालभर पहले के सामूहिक बलात्कार और पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में जैसा मौन उपवास केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मुखिया मेनका गांधी ने साधा है, वैसा मौन इतिहास में किसी मंत्री ने पहले नहीं साधा होगा।

बड़ी मुश्किल से भाजपा द्वारा घोषित उपवास के लिए दिल्ली के हनुमान मंदिर पहुंची मेनका गांधी को चारों ओर से मीडिया ने घेर लिया तो उन्होंने कह दिया कि कानून अपना काम कर रहा है, जो उचित कार्यवाही होगी, एजेंसियां करेंगी। बस हो गया मेनका गांधी का काम, आ गया बयान।

अगर महिला मंत्रालय की मुखिया ऐसा असंवेदनशील बयान देंगी फिर जरूरत क्या है ऐसे किसी मंत्रालय की जिसका सलाना बजट करोड़ों का होता है। इस तरह का बेपरवाह बयान तो पुलिस का अधिकारी और भाजपा के नेता दे ही रहे हैं। गौर करने वाली बात है कि यह वही मेनका गांधी हैं जो कुत्ता—बिल्ली पर होने वाले अपराधों पर खूब बोलती हैं, उनको सजा दिलाने के अदालत से सड़क तक एक कर देती हैं, लेकिन उनकी इंसानों के मामलों में बोलती बंद हो जाती है।

हालांकि उनसे ऐसा करने का आदेश खुद मोदी जी ने दिया है या उन्होंने दूसरे मंत्रियों की हालत देखते हुए अपना लिया है, यह तो पता नहीं पर इतना तो तय है कि महिलाओं पर सबसे ज्यादा चिंता बिखेरने वाले मोदी की सरकार में महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अपराधों के मामले में महिला मंत्रालय मृतप्राय पड़ा है।

उधर मोदी मंत्रिमंडल की सबसे ताकतवर मंत्रियों में शामिल स्मृति ईरानी ने तो इस मसले पर मुंह ही खोलने से मना कर दिया। कहा कि कठुआ और उन्नाव पर वह सड़क पर यूं ही चलते—चलते बात नहीं करेंगी। ऐसे में ये क्या माना जाना चाहिए कि वह शाम को दावत पर बुलाकर और बैठाकर अपना बयान मीडिया को दर्ज कराएंगी कि वह उन्नाव और कठुआ की घटनाओं के बाद इन दिनों कैसा महसूस कर रही हैं।

इस पूरे मामले में ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि उन्नाव और जम्मू की वारदातों के मामले में स्मृति ईरानी और मेनका गांधी के दर्शन होने पर मीडिया के दो सवाल हो गये, लेकिन क्या मजाल कि आप महिला आयोग की कार्यकारी अध्यक्ष रेखा शर्मा का कहीं कोई जिक्र सुने हों, उन्होंने पीड़ितो के इलाके में दौरा किया हो, पुलिस को नोटिस किया हो या कुछ भी एक्स—वाई—जेड किया हो।

कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि फिर देश को महिला विकास जैसे मंत्रालयों और महिला आयोग जैसे विभागों को क्यों झेलना चाहिए, जो बिना काम के हैं। वह उनके लिए भी कुछ नहीं करते या बोलते जिनके कल्याण के नाम पर इनका गठन हुआ है, जिनके नाम की ये रोटी खाते हैं।

पुलिस का हाल तो यह है कि बलात्कार के आरोपी भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के लिए डीजीपी माननीय विधायक जी का संबोधन प्रेस कांफ्रेंस में करते हैं। ऐसे में उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करने की हिम्मत करेंगे, इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। हो सकता है कि हमारी महिला मंत्रियों और मोदी जी के दिल में भी कुलदीप सिंह सेंगर के लिए माननीय जैसी ही इज्जत हो।

बलात्कारी विधायक के आगे नतमस्तक पुलिस अधिकारियों से न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है?